<u>आवेदन - पत्र</u>

"आकार-2013"
पारंपरिक शिल्प एवं कला प्रशिक्षण शिविर
दिनांक 25 मई से 05 जून 2013 तक
जगदलपुर, जिला-बस्तर, छत्तीसगढ़

फोटो

निवेदन है कि मैं संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित पारंपरिक शिल्प एवं कला प्रशिक्षण शिविर में भाग लेना चाहता/चाहती हूं।

मैने इस प्रशिक्षण शिविर हेतु जारी निर्देशों को सतर्कता से पढ़ लिया है व मैं उन निर्देशों का पालन करूंगा/करूंगी।

नाम :...

पिता/पति का नाम :...

आयु :...शिक्षा :..................................

पता :...

....दूरभाष क्रमांक :..................

विधा का नाम :...

पूर्व अनुभव (यदि कोई हो) :...

संस्था का नाम (यदि किसी संस्था से संबंध हो):...

दिनांक :..............

प्रार्थी के हस्ताक्षर

अभिभावक के हस्ताक्षर

18 वर्ष से कम आयु के प्रशिक्षुओं के लिए अभिभावक के हस्ताक्षर भी अनिवार्य है।

<u>कार्यालयीन उपयोग के लिए</u>

शिफ्ट : सुबह 7:30 से 10.30 बजे/सायं 4.00 से 7.00 बजे
विधा : मृदा शिल्प, पेंटिंग, भीलचित्र, रजवार भित्तिचित्र, जरदोजी, म्यूरल आर्ट, कवड़ी आर्ट, पैरा आर्ट।

पंजीयन शुल्क : रूपये 200/- (दो सौ रूपये) मात्र प्राप्त हुआ।

पंजीयन क्रमांक : ....

दिनांक :..................

प्रशिक्षक के हस्ताक्षर

प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर

//प्रशिक्षण शिविर हेतु निर्देश//

1. प्रशिक्षण शिविर में पंजीयन के लिए आवेदन पत्र 25 मई से 05 जून 2013 तक जगदलपुर में आकार प्रशिक्षण कार्यालय से कार्यालयीन समय में प्रदान किए जावेंगे, जिसे दिनांक 25 मई 2013 को सायं 5.30 बजे तक जमा होंगे। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. शिविर 25 मई से 05 जून 2013 से दो शिफ्टों (सुबह 7.30 से 10.30 बजे तथा सायं 4.00 से 7.00 बजे) में किया जावेगा।
3. प्रशिक्षण की अवधि 12 दिन की होगी।
4. यदि प्रशिक्षु एक से अधिक विधा पर प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, तो उन्हें प्रत्येक विधा के लिए अलग-अलग नामांकन पत्र जमा करना होगा एवं प्रशिक्षण शुल्क भी विधा अनुसार लिया जाएगा।
5. आवेदक को आवेदन पत्र पर एक पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा करना आवश्यक है। साथ ही परिचय पत्र हेतु एक अतिरिक्त फोटो आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा।
6. जिस विधा में प्रशिक्षण चाहते हैं, उस विधा में कोई पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त हो या कोई अनुभव हो तो कृपया उसका उल्लेख आवेदन पत्र में अवश्य करें।
7. प्रत्येक विधा में प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षुओं की अधिकतम संख्या 20 रहेगी एवं पहले प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता दी जाएगी।
8. 18 वर्ष से कम आयु के प्रशिक्षुओं के आवेदन पत्र में अभिभावक के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
9. शिविर के लिए प्राप्त आवेदनों पर अंतिम निर्णय संस्कृति विभाग का होगा।
10. प्रशिक्षण पूर्ण होने पर संस्कृति विभाग द्वारा प्रशिक्षुओं को प्रमाण-पत्र दिये जाएंगे।
11. शिविर के अनुशासन का पालन करना प्रत्येक प्रशिक्षु के लिए अनिवार्य होगा, विपरीत स्थिति में पंजीयन रद्द कर प्रशिक्षु का प्रशिक्षण समाप्त किया जा सकता है।
12. अपरिहार्य कारणों से यदि किसी विधा का प्रशिक्षण निरस्त करना जरूरी हो तो प्रतिभागी अन्य किसी विधा में प्रशिक्षण हेतु आवेदन कर सकते है, परंतु किसी भी परिस्थिति में जमा राशि वापस नही होगी।

उप संचालक एवं
प्रभारी आकार-2013
जगदलपुर, जिला-बस्तर, छ.ग.